



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

पौध नर्सरी हेतु भूखण्डों का विज्ञापन

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा फाफामऊ में इलाहाबाद-लखनऊ राजमार्ग के दक्षिण (बसना नाले के समीप) पौध नर्सरी संचालन हेतु भूखण्डों का आवंटन किया जाना है।

- समस्त भूखण्डों का क्षेत्रफल 6मी. X 5मी. = 30 वर्ग मी. है।
- 6 मी. चौड़ी सड़क पर कुल 36 भूखण्ड मूल्य 26,000.00 प्रति वर्ग मी. है। पंजीकरण धनराशि रु. 78,000.00 है।
- 18 मी. चौड़ी सड़क पर कुल 4 भूखण्ड मूल्य रु. 28,000.00 प्रति वर्ग है। पंजीकरण धनराशि रु. 84,000.00 है।
- समस्त भूखण्ड 90 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जायेंगे।
- समस्त भूखण्डों पर कोई निर्माण अनुमत्य नहीं होगा, मात्र पौध नर्सरी का संचालन किया जा सकेगा।
- अन्य नियम आवंटन नियमावली के अनुसार होंगे।

इच्छुक व्यक्ति दिनांक 06.02.2018 से दिनांक 16.02.2018 तक जन संपर्क अनुभाग, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय, 7वाँ तल इन्दिरा भवन सिविल लाइन्स, इलाहाबाद से आवेदन पत्र प्राप्त कर पंजीकरण धनराशि सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के नाम से बैंक ड्राफ्ट सहित विलम्बतम दिनांक 16.02.2018 तक प्रभारी अधिकारी-उद्यान, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-4003/2006 रि गंगा पॉल्यूशन बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2013 के अनुसार महात्मा गांधी मार्ग पर संचालित नर्सरी के स्वामियों को उक्त आवंटन में परीयता प्रदान की जायेगी। समस्त प्राप्त आवेदनों की लाटरी दिनांक 19.02.2018 को अपराह्न 11.00 बजे प्राधिकरण के कमेटी कक्ष में निकाली जायेगी।